आदेश पर की कार्रवाई के बारे में तारीख सहित
3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

वाद संख्या – MAN 02/2021

अर्जुन शर्मा वगै० –बनाम– लालधारी हजाम वगै०

–: आदेश :–

यह वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही हजारीबाग द्वारा विविध वाद संख्या 14/2016 अर्जुन शर्मा वगै०–बनाम–लालधारी हजाम (ठाकुर) वगैरह में दिनांक 21.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अर्जुन शर्मा, परमेश्वर ठाकुर, भोला ठाकुर, राकेश शर्मा सभी के पिता स्व० हुलास हजाम, निवास स्थान ग्राम–हुट्वा, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है, जिसमें लालधारी हजाम पिता गणपत हजाम, निवास स्थान ग्राम–हुट्वा, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग, टिपन ठाकुर पिता गणपत हजाम, निवास स्थान ग्राम–धनवार, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग एवं अंचल अधिकारी, बरही को पक्षकार बनाया गया है। दाखिल अपील आवेदन को पंजीकृत कर विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत् किया गया। निर्गत् नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निम्न न्यायालय अभिलेख प्राप्त है, अवलोकन किया गया। विभिन्न तिथियों को उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल कर कहा गया कि गणपत हजाम के चार पुत्र (1.) हुलाश हजाम, (2.) देवी हजाम, (3.) लालधारी हजाम एवं (4.) टीपन हजाम हैं, जिनके बीच में उनके पिता गणपत हजाम के जीवन काल में ही बँटवारा हुआ था। सभी को बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ था। हुलास हजाम को उनके भाईयों द्वारा परेशान किये जाने के कारण वे धनवार से ग्राम–हुट्वा में आकर निवास करने लगे। हुलाश हजाम द्वारा अपनी राशि खर्च कर एवं झाड़ियों की सफाई आदि का कार्य करते हुए ग्राम–हुट्वा, खाता संख्या–1/4, कुल 10 प्लॉटों अन्तर्गत कुल रकवा 7.81 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया। खाता संख्या–1, हाल खाता संख्या–1/4 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। हुलास हजाम द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार लाटो साहू एवं रामकृष्ण साहू से सम्पर्क स्थापित किया गया, जिनके द्वारा अमीन रामचन्द्र साहू को जाँच करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। स्थल जाँच में हुलास हजाम का दखल पाया गया। ग्राम–हुट्वा अन्तर्गत खाता संख्या–01 हाल खाता संख्या–1/4 प्लॉट संख्या–6 हाल प्लॉट संख्या–6/2 रकवा–0.06 एकड़, प्लॉट संख्या–6/3 रकवा–0.05

एकड़, प्लॉट संख्या–6 हाल प्लॉट संख्या–6/4 रकवा–2.86 एकड़, प्लॉट संख्या–6/5 रकवा 0.44 एकड़, प्लॉट संख्या–6/6 रकवा–0.57 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–6/7 रकवा 0.44 एकड़ भूमि हुलास हजाम के नाम बन्दोबस्त करते हुए पर्चा, फर्द रिर्पोट अमीन सम्वत् 2001 को निर्गत् किया गया। साथ ही भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा दिनांक 05.08.1944 को ग्राम–हुटवा, खाता संख्या–1/4 प्लॉट संख्या–6/2 रकवा 0.06 एकड़, प्लॉट संख्या–6/3 रकवा–0.95 एकड़, प्लॉट संख्या–6/4 रकवा 0.0286 एकड़, प्लॉट संख्या–6/5 रकवा 0.44 एकड़, प्लॉट संख्या–6/6 रकवा 0.57 एकड़, प्लॉट संख्या–6/7 रकवा 0.94 एकड़, प्लॉट संख्या–3/27 रकवा 1.04 एकड़, प्लॉट संख्या–3/26 रकवा 0.32 एकड़, प्लॉट संख्या–6/8 रकवा 0.18 एकड़, प्लॉट संख्या–3/28 रकवा–0.95 एकड़ कुल रकवा 7.81 एकड़ का हुकुमनामा पर्चा बन्दोबस्तीधारी हुलास हजाम पिता गणपत हजाम के नाम निर्गत् किया गया। उक्त भूमि हुलास हजाम दखलकार हुए एवं जमीन्दार को लगान का भुगतान किया गया। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार को लगातार भू–लगान का भुगतान किया गया। हुलास हजाम द्वारा भूमि पर कच्चा मकान का निर्माण करते हुए निवास करने लगे। हुलास हजाम के पुत्र द्वारा प्लॉट संख्या–6/4 रकवा–0.08 एकड़ मधे रकवा 0.0286 एकड़ भूमि पर पक्का मकान का निर्माण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्लॉट संख्या–6/4 पर पीने के पानी एवं खेतीबारी हेतु 20फीट का पक्का कुँआ बनाया गया। लालधारी हजाम का घर नहीं होने के कारण एवं दोनों पक्षों में अच्छी रिश्ता होने तथा लालधारी हजाम के अनुरोध के आलोक में अपीलार्थी द्वारा निर्मित घर के पूर्वी भाग में एक कमरा निवास हेतु लालधारी हजाम को दे दिया गया। प्रतिवादी संख्या–1 एवं 2 का अपीलार्थी के भूमि पर गलत नजर होने के कारण उनके हल्का कर्मचारी एवं अंचल कर्मियों की मिलीभगत से लालधारी हजाम एवं टीपन ठाकुर का नाम नये पंजी–।। में दर्ज किया गया। पुरानी पंजी–।। में मात्र हुलास हजाम का नाम दर्ज है, जिसकी जमाबंदी दिनांक 01.12.1961 से वर्ष 1995 तक दर्ज था। हल्का कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 का नाम पंजी–।। में दर्ज किया गया। अपीलार्थी को इस धोखाधड़ी की

जानकारी होने के बाद निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में वाद दायर करते हुए लालधारी ठाकुर एवं टीपन ठाकुर का नये पंजी–।। में दर्ज नाम को हटाने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा हुलास हजाम, लालधारी हजाम एवं टीपन हजाम के नाम कायम जमाबंदी को यथावत् रखने का गलत आदेश पारित किया गया। विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया कि लालधारी हजाम एवं टीपन ठाकुर प्रश्नगत् भूमि से संबंधित नहीं है, हुलास हजाम इस भूमि के वास्तवित मालिक हैं जबकि भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा उक्त भूमि हुलास हजाम के नाम बन्दोबस्त की गयी थी। इससे संबंधित कागजात भी विज्ञ निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया, परन्तु उनके द्वारा इस बिन्दुओं को अनदेखा किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 कभी भी उक्त भूमि पर दखलकार नहीं रहे। प्रतिवादी द्वारा हुलास हजाम, लालधारी हाजम एवं टीपन महतो के नाम का नकली एवं जाली पर्चा जमा किया गया है, भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा इस प्रकार का कोई पर्चा नहीं दिया गया था। भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा मात्र हुलास हजाम के नाम से नाम से पर्चा दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पर्चा एवं सरकारी लगान रसीद नकली एवं जाली है। इस न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा गलत बताया गया कि गणपत हजाम के तीन पुत्र हुलास हजाम, लालधारी हजाम एवं टीपन हजाम हैं, जबकि गणपत हाजम के चार पुत्र हुलास हजाम, देवी हजाम, लालधारी हजाम एव टीपन हजाम हैं। प्रतिवादी द्वारा यह भी गलत कहा किया कि भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा हुलास हजाम, लालधारी हजाम एवं टीपन हजाम द्वारा उक्त भूमि पर दखलकार पाये जाने के फलस्वरूप भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा इन सभी के नाम संयुक्त रूप में पर्चा निर्गत् किया गया था। अंत में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए हुलास हजाम के नाम लगान रसीद निर्गत् करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के प्रतिउत्तर में प्रतिवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल कर कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा गलत बताया जा रहा है कि उनके पिता को भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा हुकुमनामा दिया गया था, जिसके आधार पर वे पंजी–।। में दर्ज नामों को हटाना चाहते हैं। जबकि गणपत हजाम को खाता संख्या–1/4, प्लॉट

संख्या-6/2, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 3/26, 3/27, 3/28 एवं 6/8 कुल रकवा 7.81 एकड़ भूमि रैयती सेन्टलमेन्ट प्राप्त है। गणपत हजाम के तीन पुत्र हुलास हजाम, लालधारी हजाम एवं टीपन हजाम हैं, जिनके नाम से भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा सेन्टलमेन्ट किया गया था। सेटलमेन्ट के उपरांत गणपत हजाम के सभी पुत्रों द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार को लगान का भुगतान किया गया। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् ग्राम-हुटवा, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग खाता संख्या-1/4 अन्तर्गत इनका नाम पंजी-।। में रैयत/दखलकार के रूप में दर्ज हुआ। तत्पश्चात् सरकार को भू-लगान का भुगतान किया गया। यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि विद्वान अंचल अधिकारी, बरही द्वारा भी इस मामले में जाँच की गयी। जाँच में विपक्षीगण उक्त भूमि के वास्तविक दखलकार पाये गये। विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि पर अलग से मकान का निर्माण किया गया है एवं कुँआ खुदवाया गया है। उक्त मकान में वे सपरिवार निवास कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि विपक्षीगण द्वारा संयुक्त रूप से लगान का भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त किया गया, जिसमें "नाम दहिन्दा" लीलधारी हजाम एवं अन्य में लगान रसीद का भुगतान टीपन ठाकुर द्वारा किया गया है। वर्ष 2000 में सर्वे अधिकारी द्वारा वर्तमान सर्वे में टीपन ठाकुर पिता गणपत ठाकुर एवं लालधारी ठाकुर पिता गणपत ठाकुर के नाम "बण्डा पर्चा" रैयती खतियान तैयार विपक्षीगण उक्त भूमि के दखलकार हैं एवं सही तरीके एवं सभी नियमों का पालन कर उनका नाम पंजी-।। में दर्ज किया गया है। माननीय निम्न द्वारा किसी प्रकार का गलत आदेश पारित नहीं किया गया है। अंत में अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही हजारीबाग द्वारा विविध वाद संख्या 14/2016 अर्जुन शर्मा वगैरह-बनाम-लालधारी हजाम (ठाकुर) वगैरह में दिनांक 21.10.2021 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

"..... उपरोक्त सभी संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी पर हुलास हजाम वगैरह अंकित है तथा

गैरमानक रैयती खतियान लालधारी हजाम एवं टिपन हजाम के नाम से अलग-अलग है।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष के हुकुमनामा में सिर्फ हुलास हजाम दर्ज है और पुरानी पंजी-।। में भी इन्हीं का नाम दर्ज है। जबकि द्वितीय पक्ष के दस्तावेजों से ज्ञात हुआ कि हुलास हजाम वगैरह के नाम से सभी कागजातों में अंकित है।

उक्त भूमि का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही में चल रहे विविध वाद संख्या 14/2016 अर्जुन शर्मा-बनाम-लालधारी हजाम वगैरह में ग्राम-हुटवा के अन्तर्गत खाता संख्या-1/4 रकवा 7.81 एकड़ भूमि का स्थल जाँच संयुक्त रूप से अंचल अमीन के साथ की गई जाँचोपरांत ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि पर हिस्से के मुताबिक दखल, कुँआ, बारी, धान खेत, घर के रूप में दोनों पक्षों का है।

अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन मौजा-हुटवा अन्तर्गत खाता संख्या-1/4 प्लॉट संख्या-3 एवं 6, रकवा-7.81 एकड़ भूमि का स्थल पर दखल के संबंध में जाँच किया गया जाँचोपरांत पाया गया कि उक्त भूखण्ड पर हिस्से के मुताबिक दखल, कुँआ, बारी, धान खेत, घर के रूप में दोनों पक्षों का है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी दोनों पक्षों के दखल होने की बात बताई दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष के हुकुमनामा में सिर्फ हुलास हजाम का नाम दर्ज है और पुरानी पंजी-।। में भी इन्हीं का नाम दर्ज है तथा द्वितीय पक्ष का हुकुमनामा में हुलास ठाकुर, लालधारी ठाकुर वो टिपन ठाकुर पेसरान गणपत हजाम दर्ज है और हुलास ठाकुर वगैरह के नाम लगान रसीद निर्गत् है, दोनों पक्षों के दस्तावेजों में भिन्नता दिखती है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता तथा निर्धारित तिथि को इस वाद में अपना-अपना पक्ष रखे तथा प्रथम पक्ष द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया जिसमें उन्हें प्रथम पक्ष का हुकुमनामा को सही ठहराते हुए प्रथम पक्ष के पिता हुलास हजाम के नाम से पुरानी पंजी-।। में कायम जमाबंदी को सही मानकर हुला हजाम के नाम से कायम जमाबंदी को पुनः चालु करने तथा सरकारी लगान रसीद निर्गत् करने का अनुरोध किया गया। जबकि विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक

के पिता हुलास हजाम एवं विपक्षीगण लालधारी हजाम, टिपन हजाम के नाम से पूर्व जमीन्दार द्वारा निर्गत् फर्द अमीन रिर्पोट, प्रश्नगत् भूमि पर तीनों भाईयों का बराबर-बराबर हिस्से पर दखल कब्जा पूर्व से बनी मकान, कुँआ तथा अंचल अधिकारी, बरही द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं वर्ष 2011-12 में हो रहे सर्वे में लालधारी हजाम एवं टिपन हजाम का प्रश्नगत् भूमि पर हिस्सा के आधार गैरमानक खतियान के आधार पर प्रश्नगत् भूमि का तीनों भाईयों के नाम से कायम जमाबंदी को चालू रखने एवं सरकारी लगान रसीद निर्गत् करने का अनुरोध किया गया।

अतएव दोनों पक्षों द्वारा दाखिल जवाब दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अंचल अधिकारी, बरही के पत्रांक 726 दिनांक 22.09.2017 एवं पत्रांक 948 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा-हुटवा खाता संख्या 1/4 प्लॉट संख्या 6 एवं अन्य रकवा 7.81 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष के पिता हुलास हजाम एवं द्वितीय पक्ष के लालधारी हजाम, टिपन हजाम तीनों के पिता गणपत हजाम का प्रश्नगत् भूमि पर पूर्व से ही बराबर-बराबर भाग पर दखल कब्जा घर, मकान, कुँआ एवं बारी के रूप में रहा और वे अपने-अपने हिस्से पर खेती करते आ रहे हैं। इसलिए प्रश्नगत् भूमि का हुलास हजाम, लालधारी हजाम एवं टिपन हजाम तीनों के पिता गणपत हजाम के नाम से पंजी-।। में अंचल अधिकारी, बरही के आदेश से कायम जमाबंदी को सही मानते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत् करने की स्वीकृति दी जाती है।"

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने, दाखिल कागजातों का अवलोकन एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंचल-बरही मौजा-हुटवा खाता संख्या-1/4 कुल रकवा 7.81 एकड़ भूमि का पुरानी पंजी-।। में हुलास हजाम का नाम दर्ज है एवं नये पंजी-।। में हुलास हजाम, लालधारी ठाकुर एवं टिपन ठाकुर का नाम दर्ज है एवं हुलास ठाकुर वगैरह के नाम से लगान रसीद निर्गत् हो रहा है। इन तथ्यों का उल्लेख निम्न न्यायालय आदेश में भी है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित हुकुमनामा, फरद रिर्पोट अमीन में मात्र हुलास हजाम वल्द गनपत हजाम का नाम अंकित

है जबकि विपक्षीगण द्वारा समर्पित फरद रिर्पोट अमीन में हुलास हजाम वो लालधारी हजाम वो टीपन हजाम पेसरान गनपत हजाम सा0 धनवार अंकित है। भूतपूर्व जमीन्दार को भुगतान किये गये लगान रसीद में मात्र हुलास हजाम का नाम अंकित है एवं पुराने रसीदों में भी मात्र हुलास हजाम का नाम अंकित है। पुरानी पंजी-।। की छायाप्रति में भी मात्र हुलास हजाम के नाम जमाबंदी दर्ज है, नये पंजी-।। में हुलास हजाम, लालधारी हजाम वो टिपन हजाम के नाम जमाबंदी दर्ज है। प्रश्नगत् भूमि सरकारी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा एक ही भमि का दो प्रकार के अलग-अलग प्रस्तुत किये गये हुकुमनामा, अमीन फर्द रिर्पोट में भिन्नता है। उभय पक्षों द्वारा रिर्टन की प्रति दाखिल नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में हुकुमनामा के वैधता की जाँच नहीं की जा सकी। दोनों पक्षों का भूमि पर मकान, कुँआ आदि के रूप में दखल कब्जा हैं। ऐसी परिस्थिति में यह मामला स्वत्व का प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष अपना दावा एवं स्वत्व सिद्ध करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरही को भेजें।

साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.08.18 15:59:05 +05:30
Location: 192.168.0.103